न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

श्री प्रदीप पुत्र श्री नक्कीराम, जाति जाट, निवासी चिडावा–सिंघाना रोड, गाडाखेडा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 367 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक जरिकेन, 15 प्लास्टिक पीपी, लोहे के तीन माप, चार प्लास्टिक कीप व ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित दो मशीन को राजसात करने बाबत।

––

उपस्थितः–

1. श्री कमल कुमार मीणा, विभागीय प्रतिनिधि–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मुर्करम अंसारी, एडवोकेट–अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 29.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के पद पर पद्स्थापित है जो लोक सेवक की श्रेणी मे आता है। दिनांक 25.02.2021 को जरिये मुखबीर श्री प्रदीप पुत्र श्री नक्कीराम, जाति जाट, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम गाडाखेडा, तहसील बुहाना के द्वारा डीजल/पेट्रोल के अवैध भंडारण व बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर मैं कपिल झाझडिया, जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं बहमराह विकास महला, प्रर्वतन अधिकारी, बुहाना, कमल कुमार मीणा, प्रर्वतन निरीक्षक, मलसीसर जांच हेतु गाडाखेडा, तहसील बुहाना पहुंचे। श्री प्रदीप पुत्र श्री नक्कीराम, जाति जाट, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम गाडाखेडा, तहसील बुहाना चिडावा–सिंघाना रोड पर गाडाखेडा मे एक दुकान जिस पर **छिल्लर** लिखा हुआ था पर वे स्वयं उपस्थित थे। दुकान के भीतर दो कमरों मे 220 लीटर भराव क्षमता के 8 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक जरिकेन भराव क्षमता 50 लीटर, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर [illegible] चार प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की दो हस्तचालित मशीन [illegible] पाये। जिनकी जांच व माप करने पर दो प्लास्टिक ड्रम व [illegible] प्लास्टिक पीपी मे कुल 370 लीटर डीजल भंडारित पाया। फर्द मौका व मौका नजरी नक्शा सलंग्न है। मौके प[illegible] लीटर डीजल भण्डारित पाये जाने एवं बिक्री करने के साक्ष्य के रू[illegible] विभिन्न क्षमता के म[illegible] जाने पर श्री प्रदीप पुत्र श्री नक्कीराम, जाति जाट, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम गाडाखेडा, तहसील बुहाना से डीजल अपने अधिकार मे रखने व बिक्री करने के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नही करवाये। बिन्दू सं0 1 से 4 के तथ्यों के आधार पर मौके पर उपलब्ध 370 लीटर डीजल मय 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:55 IST
Reason: SelfAttested

प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक जरिकेन, 15 प्लास्टिक पीपी, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर क्षमता के, चार प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित दो मशीन व 15 प्लास्टिक पीपी को मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का उल्लधंन पाये जाने पर धारा 7 के तहत प्रद्वत शक्तियों के अनुशरण मे जब्त सरकार किया गया व एक–एक लीटर के तीन सैम्पल तैयार कर शेष 367 लीटर डीजल मय 220 लीटर भराव क्षमता के मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक जरिकेन भराव क्षमता 50 लीटर, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर क्षमता के, चार प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित दो मशीन व 15 प्लास्टिक पीपी भराव क्षमता 20 लीटर को सुरक्षा की दृष्टि से जांच मे सहयोग हेतु मौके पर बुलाये गये श्री हरीसिंह पुत्र श्री भगवानाराम, जाति जाट, निवासी गाडाखेडा, तहसील बुहाना उम्र 45 साल की सुपुर्दगी मे दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री प्रदीप पुत्र श्री नक्कीराम, जाति जाट, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम गाडाखेडा, तहसील बुहाना द्वारा डीजल का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः उपर्युक्त जब्तशुदा 367 लीटर डीजल (370 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक जरिकेन भराव क्षमता 50 लीटर, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर क्षमता के, चार प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित दो मशीन व 15 प्लास्टिक पीपी भराव क्षमता 20 लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थ है व इसमे छीजत की संभावना है। अतः उक्त डीजल के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

बहस सुनी गयी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 25.02.2021 को श्री प्रदीप पुत्र श्री नक्कीराम, जाति जाट, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम गाडाखेडा, तहसील बुहाना की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर दुकान मे 370 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक जरिकेन भराव क्षमता 50 लीटर, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर क्षमता के, चार प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित दो मशीन व 15 प्लास्टिक पीपी भराव क्षमता 20 लीटर रखा पाया। जिसकी जांच व मापे जाने पर ड्रम मे कुल 370 लीटर डीजल भंडारित पाया। मौके पर 370 लीटर डीजल भण्डारित पाये जाने एवं बिक्री करने के साक्ष्य के रूप मे 8 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक जरिकेन भराव क्षमता 50 लीटर, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर क्षमता के, चार प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित दो मशीन व 15 प्लास्टिक पीपी भराव क्षमता 20 लीटर पाये जाने पर श्री प्रदीप पुत्र श्री नक्कीराम, जाति जाट, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम गाडाखेडा, तहसील बुहाना से डीजल अपने अधिकार [illegible] व बिक्री करने के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नही कराये। इस प्रकार श्री प्रदीप पुत्र श्री नक्कीराम, जाति जाट, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम गाडाखेडा, तहसील बुहाना द्वारा डीजल का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपर्युक्त जब्तशुदा 367 लीटर डीजल (370 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक जरिकेन भराव क्षमता 50 लीटर, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर क्षमता के, चार प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

मशीन व 15 प्लास्टिक पीपी भराव क्षमता 20 लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थ है व इसमे छीजत की संभावना है। अतः उक्त डीजल के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

विद्वान वकील अप्रार्थी बहस के दौरान विभागीय पैरोकार के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी कृषि का कार्य करता है। उसके द्वारा जब्तशुदा डीजल परिवार के ट्रेक्टरों मे डालने के लिए लाया गया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे तथा प्रार्थी का जप्त शुदा डीजल प्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण के अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

1. प्रकरण मे बिना लाईसेन्स एवं बिना सक्षम स्वीकृति के डीजल बेचा जा रहा था। जप्तशुदा डीजल की मात्रा 370 लीटर है। मौके पर डीजल बेचने के साक्ष्य के रूप मे लोहे के तीन माप कमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर क्षमता के, चार प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित दो मशीन व 15 प्लास्टिक पीपी भराव क्षमता 20 लीटर मिलना अवैध डीजल बिकी को साबित करता है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी अवैध रूप से डीजल बेच रहा था।
2. डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है
3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जब्तशुदा 367 लीटर डीजल (370 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक जरिकेन भराव क्षमता 50 लीटर, लोहे के तीन माप कमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर क्षमता के, चार प्लास्टिक कीप तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित दो मशीन व 15 प्लास्टिक पीपी भराव क्षमता 20 लीटर का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर नियंत्रित कीमत पर विकय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 29.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:55 IST
Reason: SelfAttested

29/07/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं